न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 15/2021

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. हरीश पंवार पुत्र रावतराम जाति लवार नि0 भैसाणा, तह0 सोजत जिला पाली।		1 घेवरराम पुत्र रावतराम 2. मृ0 वोराराम पुत्र खीमाराम के का0मु0:— मोतीलाल पुत्र स्व0 वोराराम 2/1 मैना देवी पुत्री स्व वोराराम 2/2 जातिगण लवार नि0 भैसाणा, तह0 सोजत जिला पाली। 3 सरकार जरिएं तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम प्रजापत एवं श्री जेठाराम अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र सांदू अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, व 3 उपस्थित।
3. श्री शांतिप्रकाश माथुर अधिवक्ता प्रतिवादी 2/2 उपस्थित।
4. श्री तहसीदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

-: निर्णय :- दिनांक — 31.05.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 02 वोराराम व उसकी पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिस मोतीलाल, मैना देवी है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 वादी का 1/4 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता व बनता है। उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण शांन्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि वादी को पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता रावतराम के स्वर्गवास पश्चात फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाते वक्त वादी का नाम हीरालाल पुत्र रावतराम त्रुटिवश भुलवश इन्द्राज करवा दिया था। वादी को उक्त नामान्तरण के संम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है। वादी को घर परिवार में बोल चाल की भाषा हरीलाल के नाम से पुकारा जाता था। जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में परिवार वालो ने हरीलाल दर्ज करवा दिया था जिस समय राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज किया गया उस समय वादी के पिता जीवित नही थे। वादी के सभी दस्तावेज हरिश पंवार के नाम से है। जिससे वादी सरकारी सुविधाओ से वंचित रहना पड रहा है। हरीलाल पुत्र रावतराम एवं हरीश पंवार पुत्र रावतराम दोनो नाम का एकमात्र व्यक्ति वादी ही है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सोजत के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह को नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का है इसलिए वादी को नोटिस की बाध्यता की छुट का प्रा0 पत्र धारा 80(2) सीपीसी के तहत वाद पत्र के साथ अलग से पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा भैसाणा तह0 सोजत में होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का

उपखण्ड अधिकारी सोजत

है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, व 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र सांदू अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं तस्दीक सुदा राजीनामा एवं ईकबालिया जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, व 3 की ओर से जबाब दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र के पद संख्या 01 से 05 सही होने से स्वीकार किया है। वाद पत्र के पद संख्या 6, 7 कानूनी होना अंकित किया है। वादी की ईश्तदुआ स्वीकार करने हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नही होना अंकित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिप्रकाश माथुर ने वकालतनामा पेश कर राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 3 की ओर से राजीनामा पेश कर अंकित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव एवं एक ही परिवार के सदस्य है तथा दोनो ही पक्षो के बीच गावं व मौजिज व्यक्तियों की समझ समझाईस से राजीनामा करवा दिया हैं इसलिए यदि वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम संशोधित करवा देता है। तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। मुकदमा चलने से आपस में रंजिश अदावत बढेगी पक्षकारान खर्चे हर्जे से जैर बार होना पडेगा। खर्चा हर्जा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। वादी माफिक ईश्तदुआ न्यायालय से डिक्री प्राप्त करता है तो हम प्रतिवादीगण पूर्ण सहमति है एवं वादी का राजस्व रेकर्ड में हीरालाल के स्थान पर हरीश पंवार के नाम का शुद्धिकरण कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। प्रतिवादी वादी संख्या 04 ने जबाब दावा पेश कर उक्त भूमि मौजा भैसाणा में स्थित होना स्वीकार किया है। पैरा संख्या 2, 3 वादी स्वयं साबित करे व पैरा 04 से 08 कानूनी होना अंकित किया है।

उपखण्ड अधि... सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद के समर्थन में वादी का आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बिजलियावास की स्कूल की टी0सी0 की प्रति, जमाबदी सम्वत 2075–78, की प्रमाणित प्रतिया पेश की सामिल मिसल है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता रावतराम के स्वर्गवास पश्चात फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाते वक्त वादी का नाम हीरालाल पुत्र रावतराम त्रुटिवश भुलवश इन्द्राज करवा दिया था। वादी को उक्त नामान्तरण के संम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है। वादी को घर परिवार में बोल चाल की भाषा हरीलाल के नाम से पुकारा जाता था। जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में परिवार वालो ने हरीलाल दर्ज करवा दिया था सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्तागण प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, आपसी राजीनामा, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रो, तस्दीकसुदा राजीनामा, मय जबाबदावा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि में वादी का नाम हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने का निवेदन किया है जिस पर सह खातेदारान द्वारा जरिये ईकबालिया जबाब दावा व राजीनाम प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों व प्रस्तुत राजीनामा से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–

1. हरीश पंवार पुत्र रावतराम जाति लवार नि0 भैसाणा, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 घेवरराम पुत्र रावतराम

2. मृ0 वोराराम पुत्र खीमाराम के का0मु0:–

2/1 मोतीलाल पुत्र स्व0 वोराराम

2/2 मैना देवी पुत्री स्व वोराराम जातिगण लवार नि0 भैसाणा, तह0 सोजत जिला पाली।

3 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 15/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री राजाराम प्रजापति तथा श्री सुरेन्द्र सांदू, श्री शांतिप्रकाश माथुर, अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भैसाणा, प0ह0 भैसाणा में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 75 के खसरा नंबर 661, 662 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 है0 तथा खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 672, 675/849 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6300 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरीलाल पुत्र रावतराम के स्थान पर हरीश पंवार पुत्र रावतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.05.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

मुद्दई